क्रम संख्या–165 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 28 जून, 2013 ई0

आषाढ़ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 2132 / XXXI(13)G-65(सू0अ0) / 2012

देहरादून, 28 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–107

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 होगा।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं:

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:—

(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,

(ख) "धारा" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,

(घ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ड़) "बी0पी0एल0" से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रु0 12,000/—(रु0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,

(च) "प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी" से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी अभिप्रेत है,

(छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज—पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

(ज) 'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित है:—

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिरूप या प्रतिरूपों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(झ) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है:—

(एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(चार) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करना:

3. राज्य सरकार समय–समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रोनिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्पयूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रकिया:

5.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) बी0पी0एल0 श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

(ग) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को

उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

(घ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है की वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

(ड़) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।

(च) अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को

उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप से परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में विचलित न करता हो।

सूचना हेतु शुल्क:

6.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रु0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात,

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रुपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रुपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्

(एक) सी0डी0/डी0वी0डी0 पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 20.00 मात्र (बीस रुपये मात्र) प्रति सी0डी0/डी0वी0डी0; और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र (दो रुपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:–

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए4 साईज के) या तैयार करने में रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वंय के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणीयां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वंय सत्यापित बी0पी0एल0 कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्वः

7.(क) नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोध कर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(ख) अनुरोधकर्ता को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।

परन्तु लोक प्राधिकारी वृहत्तर लोक हित में अधिनियम की धारा–8(2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी

अथवा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील

8.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा। अपील के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक होने की दशा में अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यथा सम्भव प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। जहां अपील का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि में न हो तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण 45 दिन से अनधिक अवधि में कर सकेगा। अपील निस्तारण के लिए समय अवधि बढ़ाने के कारण अभिलिखित किए जायेंगे। अपील के निस्तारण आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखती है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(च) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना'

प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदित सूचना का प्रकटन वृहत्तर जनहित में प्रकटन करना उपयुक्त पाया है या नहीं। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ), धारा 8(2) के प्राविधानों के अनुसार यह समाधान हो रहा है कि वृहत्तर लोक हित में आवेदित सूचना का प्रकटन किया जाना आवश्यक है तथा अपीलकर्ता तक सूचना निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराएंगे।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

(ज) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जो 'सूचना' प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

सूचना आयोग में द्वितीय अपील :

9.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपील पर निर्णय लेते समय राज्य सूचना आयोग:–

(एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;

(दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा;

(तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जाँच करेगा; और

(चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

(पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छः) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियो कान्फ्रेन्स से द्वितीय अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फ्रेन्स प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

(ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगी:–

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;
(दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती;
(तीन) साधारण डाक द्वारा; या
(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(पाँच) इण्टरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा एस0एम0एस0 द्वारा।

(छः) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छः) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पाँच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ङ.) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रकिया अपनायेगा:–

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाऐंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

(तीन) आयोग का आदेश आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

10.(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हों। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो ।

(ङ.) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(च) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध

अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, **में पारित** आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि **समाप्त होने पर** वसूल की जा सकेगी।

(ख) आयोग अरोपित शास्ति वसूलन के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तो में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर **उसकी पावती** आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली **के प्रयोजनार्थ** शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

(घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(ड.) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से

अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील की पत्रावली में रखी जायेगी।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:

12. यदि इन नियमों के प्रभावी कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

निरसन और व्यावृत्तियां:–

13.(क) उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(ख) खण्ड (क) के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 निरसित किये जाने पर भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत की गयी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई आलेख्य, जहां तक वह इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के अधीन की गई, जारी की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2132/XXXI (13)G-65(सू0अ0)/2012, dated June 28, 2013 for general information :

No. 2132/XXXI (13)G-65(सू0अ0)/2012
Dated Dehradun, June 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act no.22 of 2005), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-